

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय परियोजना निदेशक ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यालय परियोजना निदेशक ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय बहुगुणा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.02.2019 से 02.03.2019 तक श्री आर० के० जोगी लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

**भाग-1परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी० एल० शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अर्जुन सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मधुकर मिश्र वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.11.2016 से 30.11.2016 तक श्री एस० के० त्यागी वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी जिसमें अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्था	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धि.	बचत	आ धि.	बचत
2015-16	0	397.18	98.75	98.75	722.62	561.79	0	0		558.01
2016-17	0	558.01	118.54	118.75	5181.16	792.72	0	0		346.45
2017-18	0	346.45	139.11	139.11	1053.52	945.90	0	0		454.07

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	शून्य
प्रारम्भिक शेष	
वर्ष के दौरान प्राप्तियां (क) केन्द्रांश (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियां	
व्यय	
अंतिम शेष	

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(धनराशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2017-18	सांसद निधि	78.55	279.75	139.85	218.45

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक समस्त स्रोतों से प्राप्त/आबंटित धनराशि तथा व्यय का विवरण  
(धनराशि लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2015-16			
		प्रा. अवशेष	आबंटन	व्यय	अवशेष
1	एन० आर० एल० एम०	4.79	6.74	3.40	8.13
2	पी० एम० ए० वाई०	27.30	65.77	82.81	10.26
3	सांसद निधि	82.82	310.60	209.54	183.88
4	सीमांत क्षेत्र विकास निधि	282.27	339.51	266.04	355.74
	योग	397.18	722.62	561.79	558.01

क्रम सं.	योजना का नाम	2016-17			
		प्रा. अवशेष	आबंटन	व्यय	अवशेष
1	एन० आर० एल० एम०	8.13	-	5.79	2.34
2	पी० एम० ए० वाई०	10.26	134.31	143.70	0.87
3	सांसद निधि	183.88	146.00	251.33	78.55
4	सीमांत क्षेत्र विकास निधि	355.74	300.85	391.90	264.69
	योग	558.01	581.16	792.72	346.45

क्रम सं.	योजना का नाम	2017-18			
		प्रा. अवशेष	आबंटन	व्यय	अवशेष
1	एन० आर० एल० एम०	2.34	45.00	45.38	1.96
2	पी० एम० ए० वाई०	0.87	372.60	373.24	0.23
3	सांसद निधि	78.55	279.75	139.85	218.45
4	सीमांत क्षेत्र विकास निधि	264.69	356.17	387.43	233.43
	योग	346.45	1053.52	945.90	454.07

**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखा परीक्षा में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया (शून्य) है।

#### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)
14/ 2014-15	1,2	1
59/ 2016-17	शून्य	1,2

#### भाग-IV

(शून्य)

## भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: **शून्य**
3. सतत् अनियमितताएं: **नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।**
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	परियोजना निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ स्थानीय निकाय कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।।

लेखा परीक्षा अधिकारी  
लेखापरीक्षादल संख्या-3  
शिविर- उत्तरकाशी